पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
मिशन शक्ति बुलेटिन-V

दिनांक- 26.05.2026

मिशन शक्ति 5.0-हर गाँव, हर नारी; हो सुरक्षित और हो सजग हमारी।

थाना पीजीआई क्षेत्रान्तर्गत पिंक बूथ 66 कल्ली पश्चिमी पीजीआई महिला पुलिस टीम द्वारा भ्रमणशील होकर महिलाओ व बच्चो को किया गया जागरुक, महिलाओं एवं युवतियों को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा सरकारी हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में दी गई विस्तृत जानकारी।

थाना पीजीआई के अंतर्गत मिशन शक्ति जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम में महिलाओं एवं युवतियों को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा सरकारी **हेल्पलाइन** सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। स्थानीय पुलिस द्वारा महिला सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया गया तथा उन्हें आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। इस पहल ने समुदाय के बीच सुरक्षा एवं जागरूकता का एक सशक्त माहौल निर्मित किया।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही बहुप्रशंसित योजना **"मिशन शक्ति 5.0"** के तहत आज दिनांक **26 मई 2026** को लखनऊ कमिश्नरेट के थाना **पीजीआई** क्षेत्र में विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

आयोजक टीम/आयोजन

- महिला कांस्टेबल शालू वर्मा, थाना पीजीआई लखनऊ कमिश्नरेट।
- म0का0 स्नेह लता दूबे, थाना पीजीआई लखनऊ कमिश्नरेट।
- थाना पीजीआई क्षेत्र लखनऊ में ।

प्रतिभागी: -

- महिला कांस्टेबल शालू वर्मा, थाना पीजीआई लखनऊ कमिश्नरेट।
- म0का0 स्नेह लता दूबे, थाना पीजीआई लखनऊ कमिश्नरेट।
- थाना पीजीआई लखनऊ में महिलाओं व बच्चो को किया गया जागरूकता।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

लखनऊ पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, दिनांक 26.05.2026 को थाना पीजीआई क्षेत्रान्तर्गत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भ्रमण करके महिलाओं एवं बच्चों तक सीधे पहुँच स्थापित की।

कार्यक्रम के दौरान, टीम ने प्रतिभागियों को विभिन्न महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी जानकारियाँ प्रदान कीं, जिनमें सामान्य अपराधों एवं साइबर अपराधों से बचाव के उपाय, सी.ई.आई.आर. पोर्टल के उपयोग, यूपी कॉप ऐप की उपयोगिता तथा आपात स्थितियों के लिए essential हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 (महिला पावर लाइन), 112 (आपातकालीन सेवाएं), 108 (एम्बुलेंस सेवा), 1098 (चाइल्डलाइन) और 1076 (टोल-फ्री हेल्पलाइन) की विस्तृत जानकारी शामिल थी। साथ ही, महिला हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति केंद्र के कार्यों के बारे में बताया गया, साइबर फ्रॉड से बचने के व्यावहारिक सुझाव साझा किए गए और बालिकाओं को उनके भविष्य के प्रति आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण महिलाओं के साथ हुए इस सार्थक संवाद ने न केवल उन्हें महिला सुरक्षा से जुड़े विषयों पर व्यापक जानकारी से अवगत कराया, बल्कि पुलिस-जनता के बीच विश्वास और सहयोग के सेतु को भी मजबूत किया।

कार्यक्रम का मुख्य संदेश

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान एवं पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ के निर्देशन में थाना पीजीआई पुलिस टीम द्वारा छात्राओं एवं महिलाओं को महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा साइबर सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को मिशन शक्ति केंद्र, महिला सुरक्षा केंद्र एवं विभिन्न सरकारी सहायता योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।

इस दौरान महिलाओं एवं छात्राओं को बताया गया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में वे 1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 1098 (बाल संरक्षण), 101 (फायर सेवा), 102/108 (स्वास्थ्य आपात सेवा), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन) तथा 1930 (राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन) नंबरों का उपयोग कर तत्काल सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

कार्यक्रम में आधुनिक डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से साइबर सुरक्षा पर जोर दिया गया। छात्राओं को साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन उत्पीड़न, फर्जी लिंक, ओटीपी फ्रॉड तथा सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने के उपाय बताए गए। साथ ही साइबर अपराध होने की स्थिति में तत्काल 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने एवं साइबर पोर्टल पर रिपोर्ट करने के संबंध में भी जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के समापन पर छात्राओं एवं महिलाओं को जागरूकता संबंधी पंपलेट्स वितरित कर सुरक्षा एवं सतर्कता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया।

निष्कर्ष एवं महत्व:

यह कार्यक्रम महिलाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और उन्हें पुलिस की सहायता तक आसान पहुँच प्रदान करने के मिशन शक्ति के व्यापक उद्देश्य को रेखांकित करता है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

"मिशन शक्ति 5.0-शिक्षित नारी, सशक्त समाज,मिशन शक्ति का यही प्रयास"

थाना माल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नवीपनाह थाना माल लखनऊ में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों,सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर सिखाए आत्मरक्षा के प्रभावी तरीके।

दिनांक –26.05.2026

लखनऊ, दिनांक: 22 अक्टूबर, 2025 - पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत थाना माल क्षेत्र में मंगलवार को एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है।

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ, के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु व्यापक जागरूकता गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। इस क्रम में, जनपद के 54 थानों पर **मिशन शक्ति केंद्र** स्थापित किए गए हैं, जहाँ महिला संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु समर्पित अधिकारियों (निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक, महिला उपनिरीक्षक) की नियुक्ति की गई है।

आयोजन/आयोजन स्थल-

- ✓ म0उ0नि0 श्रीमती सपना देवी थाना माल कमि0 लखनऊ
- ✓ रि0म0का0 सृष्टि राय थाना माल लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ थाना **माल क्षेत्र**, लखनऊ के अंतर्गत **ग्राम नवीनाह थाना माल लखनऊ** में मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आयोजक टीम-

- म0उ0नि0 श्रीमती सपना देवी थाना माल कमि0 लखनऊ
- रि0म0का0 सृष्टि राय माल कमिश्नरेट लखनऊ।
- थाना माल के अन्य महिला कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:-

थाना **माल क्षेत्र,** लखनऊ के अंतर्गत **ग्राम नवीपनाह थाना माल लखनऊ** में मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके **कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों, सरकारी योजनाओं** एवं **आत्मरक्षा के तरीकों** के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में बताया गया कि यूपी पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न सेवाओं को क्रियाशील किया गया है, जिनमें महिला हेल्पलाइन, स्मार्ट सिटी कैमरे, और फील्ड पुलिस पेट्रोलिंग जैसे उपाय शामिल हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्हें आत्मरक्षा और सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के तरीकों पर शिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देना

कार्यक्रम के दौरान टीम ने महिलाओं को बताया कि **उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु** कई प्रभावी सेवाएँ संचालित की जा रही हैं, जैसे:

- **1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन)**
- **181 (महिला हेल्पलाइन)**
- **112 (आपातकालीन सेवा)**
- **1098 (चाइल्डलाइन)**
- **1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन)**
- **UP-COP मोबाइल ऐप** का उपयोग

इसके साथ ही **स्मार्ट सिटी कैमरे**, **फील्ड पेट्रोलिंग यूनिट**, एवं **एंटी रोमियो स्क्वॉड** के कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

महिलाओं को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा या साइबर अपराध की स्थिति में वे इन हेल्पलाइन सेवाओं के माध्यम से तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

मुख्य जागरूकता बिंदु:-

1. महिलाओं को **आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता** के लिए प्रेरित किया गया।
2. **"गुड टच" और "बैड टच"** के माध्यम से संवेदनशील विषयों पर जागरूकता बढ़ाई गई।
3. **साइबर अपराधों से सुरक्षा** हेतु सावधानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया समझाई गई।
4. **बाल विवाह निषेध, महिला अधिकार एवं सरकारी योजनाओं** से संबंधित जानकारी दी गई।
5. उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं में जागरूकता हेतु **पम्फलेट और जानकारी पत्रक वितरित किए गए।**

उद्देश्य एवं महत्व-

मिशन शक्ति 5.0 अभियान न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास करा रहा है, बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रख रहा है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

दिनांक- 26.05.2026

मिशन शक्ति 5.0-"सतर्कता हमारी, सुरक्षा तुम्हारी, मिशन शक्ति है यह हम सबकी जिम्मेदारी!"

महिला थाना द्वितीय टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के तहत थाना बीकेटी क्षेत्रान्तर्गत अस्ति क्रॉसिंग पर, महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराध, यातायात, महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्प डेस्क और पिंक बूथ के बारे में विस्तार से जानकारी देकर किया जागरूक।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही बहुप्रशंसित योजना **"मिशन शक्ति 5.0"** के तहत आज दिनांक **12 अप्रैल 2026** को लखनऊ कमिश्नरेट के महिला थाना द्वितीय द्वारा थाना बीकेटी क्षेत्रान्तर्गत बड़ी बाजार में विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। जिसमें महिला और बच्चों को महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को **सुरक्षा, अधिकारों एवं सरकारी सहायता, सेवाओं** के प्रति जागरूक करना था।

मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी नवीनतम कड़ी, मिशन शक्ति 5.0, के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं।

आयोजक/आयोजक स्थान -

मिशन शक्ति टीम महिला थाना द्वितीय, लखनऊ

- **म0का0 रेनू राय**
- **म0का0 सलमा बानो**
- **म0का0 आंचल तिवारी**

स्थान- अस्ति क्रॉसिंग, थाना बीकेटी

प्रतिभागी: -

- ***मिशन शक्ति टीम महिला थाना द्वितीय, लखनऊ***
  - **म0का0 रेनू राय**
  - **म0का0 सलमा बानो**
  - **म0का0 आंचल तिवारी**

स्थान- महिला थाना द्वितीय द्वारा अस्ति क्रॉसिंग, थाना बीकेटी क्षेत्रान्तर्गत महिलाओं को किया गया जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित **मिशन शक्ति फेज-05 अभियान** के अंतर्गत आज दिनांक **26.05.2026** को **महिला थाना द्वितीय, कमिश्नरेट लखनऊ** की मिशन शक्ति टीम द्वारा थाना क्षेत्र **अस्ति क्रॉसिंग, थाना बीकेटी** में महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

जागरूकता अभियान के दौरान महिलाओं को महिला सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे **112, 1090, 181, 1076, 1098, 102, 108** एवं **1930 साइबर हेल्पलाइन** के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा अथवा साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल संबंधित हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करें।

मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं को **महिला सशक्तिकरण**, महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी, यूपी कॉप एप एवं साइबर अपराध से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन माध्यमों का सुरक्षित उपयोग करने तथा साइबर ठगी से सतर्क रहने हेतु आवश्यक सुझाव दिए गए।

अभियान के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित किया गया।

साइबर जागरूकता के तहत विषय:

- **सुरक्षित इंटरनेट उपयोग:** सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग आदि में सतर्कता बरतने के तरीके।
- **साइबर बुलिंग और उत्पीड़न:** इनकी पहचान कैसे करें और इससे कैसे निपटें।
- **डेटा गोपनीयता:** व्यक्तिगत जानकारी और फोटो ऑनलाइन साझा करते समय सावधानी।
- **साइबर ठगी:** ऑनलाइन धोखाधड़ी, फ़िशिंग आदि से बचाव के उपाय।
- **डिजिटल फुटप्रिंट:** इंटरनेट पर अपनी गतिविधियों का दीर्घकालिक प्रभाव।

आधुनिक डिजिटल युग में बढ़ते खतरों को देखते हुए, इस कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। छात्राओं को साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन उत्पीड़न और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने के उपाय सिखाए गए। साथ ही, साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए **राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** के बारे में विस्तार से बताया गया और जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-III

"मिशन शक्ति 5.0-महिलाओं व बालिकाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा साइबर अपराधों से बचाव हेतु किया जागरूक।

दिनांक- 26.05.2026

थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा हनुमान मंदिर क्षेत्र थाना अलीगंज में महिलाओं ,बालिकाओं व छोटे बच्चों को पम्पलेट वितरण करके महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने और उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव की दी गई जानकारी।

महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल, "मिशन शक्ति महिलाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय और सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण, या किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के मार्गदर्शन में 22 सितंबर 2025 से 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।

लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल-

मिशन शक्ति टीम थाना अलीगंज, जनपद लखनऊ

- **उप निरीक्षक रविंद्र नाथ प्रजापति**
- **उप निरीक्षक शिवानी मिश्रा**
- **म0का0 रामा राजपूत**
- **म0का0 शोभा**

स्थान- हनुमान मंदिर क्षेत्र, थाना अलीगंज

प्रतिभाग-

मिशन शक्ति टीम थाना अलीगंज, जनपद लखनऊ

- **उप निरीक्षक रविंद्र नाथ प्रजापति**
- **उप निरीक्षक शिवानी मिश्रा**
- **म0का0 रामा राजपूत**
- **म0का0 शोभा**

स्थान- थाना अलीगंज क्षेत्रान्तर्गत हनुमान मंदिर क्षेत्र, थाना अलीगंजमें महिलाओ एवं बालिकाओं द्वारा प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित **मिशन शक्ति फेज-05 अभियान** के अंतर्गत आज दिनांक **26.05.2026** को **थाना अलीगंज, कमिश्नरेट लखनऊ** की मिशन शक्ति टीम द्वारा **हनुमान मंदिर क्षेत्र** में महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

अभियान के दौरान महिलाओं एवं बच्चियों को मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्य एवं महिला सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित पुलिस हेल्पलाइन नंबर जैसे **112, 1090, 181, 1076** एवं अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में जागरूक किया गया।

मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं को **महिला सशक्तिकरण**, महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी, यूपी कॉप एप एवं साइबर अपराध से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल एवं सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले साइबर अपराधों से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियों के बारे में बताया गया तथा **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** की जानकारी दी गई।

महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करते हुए कहा गया कि किसी भी प्रकार की समस्या अथवा उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता लें एवं हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग करें।

उद्देश्य:

1. **जागरूकता का प्रसार:** महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करना। इसमें नारी स्वावलंबन, साइबर सुरक्षा और 'गुड टच-बैड टच' जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
2. **मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका से परिचय कराना:** आम जनता, विशेष रूप से महिलाओं को मिशन शक्ति केंद्रों के कार्यों, उद्देश्यों और उपलब्ध सेवाओं (जैसे कानूनी सहायता, परामर्श, संरक्षण) की जानकारी देना ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर इनका लाभ उठा सकें।
3. **हेल्पलाइन सेवाओं का प्रचार-प्रसार:** महिलाओं और बच्चों से संबंधित विभिन्न आपातकालीन और सहायता सेवाओं (जैसे 1090, 181, 112, 1098, 1930 आदि) के बारे में व्यापक पैमाने पर जानकारी पहुँचाना, ताकि संकट की स्थिति में तुरंत मदद ली जा सके।
4. **सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना:** एक ऐसे सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण का निर्माण करना जहाँ महिलाएं और बच्चे बिना किसी भय के अपना विकास कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
5. **सामुदायिक सहभागिता:** एंटी-रोमियो टीम और मिशन शक्ति टीम के माध्यम से सीधे तौर पर समुदाय तक पहुँचकर, सुरक्षा और जागरूकता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

दिनांक- 26.05.2026

मिशन शक्ति 5.0: "सुरक्षित महिला, सशक्त परिवार; जागरूक नारी, समृद्ध समाज।"

मिशन शक्ति फेज-05 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 26.05.2026 को मिशन शक्ति टीम थाना सरोजनीनगर द्वारा थाना क्षेत्र स्थित वी मार्ट, गौरी बाजार में महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण और **पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के** मार्गदर्शन में 22 सितंबर 2025 से 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।

लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है

आयोजक/आयोजन स्थल-

मिशन शक्ति टीम थाना सरोजनीनगर

- **उ0नि0 यशवंत सिंह**
- **एमएसआई श्रीमती पूजा यादव**
- **एमएसआई सुष्मिता सिंह**
- **एमसी प्रीति सिंह**

स्थान- वी मार्ट, गौरी बाजार थाना सरोजनीनगर के आस-पास भ्रमणशील होकर

प्रतिभाग-

मिशन शक्ति टीम थाना सरोजनीनगर

- **उ0नि0 यशवंत सिंह**
- **एमएसआई श्रीमती पूजा यादव**
- **एमएसआई सुष्मिता सिंह**
- **एमसी प्रीति सिंह**

स्थान- वी मार्ट, गौरी बाजार थाना सरोजनीनगर के आस-पास भ्रमणशील होकर बालिकाओ, महिलाओं और बच्चों को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ के निर्देशानुसार संचालित **मिशन शक्ति फेज-05 अभियान** के अंतर्गत आज दिनांक **26.05.2026** को **मिशन शक्ति टीम थाना सरोजनीनगर** द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया।

महिलाओं को **घरेलू हिंसा**, महिला उत्पीड़न, साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग एवं महिलाओं से संबंधित अपराधों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या अथवा आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त करने हेतु हेल्पलाइन नंबरों का प्रयोग करें।

अभियान के दौरान महिलाओं को **1090 वूमेन पावर लाइन**, **UP-112**, **181 महिला हेल्पलाइन**, **1098 चाइल्ड हेल्पलाइन**, **1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन**, **1930 साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन**, महिला हेल्प डेस्क एवं महिला पिंक बूथ की उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही साइबर अपराध से बचाव एवं जागरूक रहने हेतु आवश्यक सुझाव दिए गए।

महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा गया कि किसी भी प्रकार की घटना अथवा उत्पीड़न होने पर बिना संकोच तत्काल पुलिस को सूचना दें, ताकि समय से प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

आपातकालीन स्थिति में अथवा किसी भी प्रकार की सहायता हेतु उपयोगी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई:-

हेल्पलाइन नंबर	उद्देश्य
1076	**मुख्यमंत्री हेल्पलाइन** – जन समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु
1090	**वीमेन पावर लाइन** – महिला उत्पीड़न की गुप्त शिकायत हेतु
112	**इमरजेंसी सेवा** – पुलिस, एंबुलेंस, फायर सर्विस के लिए एकीकृत नंबर
181	**महिला हेल्पलाइन** – महिला सुरक्षा और सहायता हेतु
1930	**साइबर अपराध हेल्पलाइन**–ऑनलाइन धोखाधड़ी व साइबर शिकायत हेतु
102	**एंबुलेंस सेवा** – मातृ स्वास्थ्य व सामान्य स्वास्थ्य सेवाए
108	**इमरजेंसी एंबुलेंस** – दुर्घटना, गंभीर बीमारियों की स्थिति में सहायता

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं0-852

दिनांक-26.05.2026

यातायात पुलिस लखनऊ

सर्वसम्बंधित को सूचित किया जाता है, कि दिनांकः 27/28.05.2025 को ईद-उज-जुहा या ईद-अल-अदाह (बकरीद) पर्व के अवसर पर प्रातः 06.00 बजे से नमाज अदा की जायेगी। जिसके दृष्टिगत शान्ति एवं कानून व्यवस्था तथा जनसामान्य के आवागमन एवं सुगम यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिनांक 27/28.05.2025 को प्रातः 06.00 बजे से नमाज की समाप्ति तक आवश्यकतानुसार यातायात/डायवर्जन व्यवस्था निम्नवत रहेगी-

1. सीतापुर रोड की तरफ से डालीगंज रेलवे क्रासिग तिराहे की तरफ कोई भी यातायात पक्के पुल की ओर नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात डालीगंज रेलवे क्रासिंग ओवरब्रिज से बांये मुड़कर चौराहा नं0 8 निरालानगर से आई0टी0 की ओर होकर जा सकेंगे।
2. पक्का पुल खदरा साईड तिराहा से सामान्य यातायात पक्कापुल (टीले वाली मस्जिद) की ओर नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात पक्का पुल से पहले तिराहे से बन्धा रोड या नया पक्कापुल होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
3. हरदोई रोड/बालागंज की तरफ से आने वाले बड़े वाहन/रोडवेज सिटी बसें बड़ा इमामबाड़ा या टीले वाली मस्जिद के तरफ नही जा सकेगा, बल्कि यह वाहन कोनेश्वर चौराहे से दाहिने चौक चौराहा, मेडिकल कालेज चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
4. कोनेश्वर चौराहे से घण्टाघर होकर बडा इमामबाडा की तरफ सामान्य यातायात नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात कोनेश्वर चौराहे से चौक चौराहा, मेडिकल क्रास (कमला नेहरू) चौराहा, शाहमीना तिराहा या नीबू पार्क (रूमीगेट पुलिस चौकी), नया पुल होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
5. नीबू पार्क (रूमीगेट पुलिस चौकी) चौराहा की तरफ से बड़ा इमामबाड़ा व टीले वाली मस्जिद की ओर यातायात नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात कोनेश्वर चौराहा या नींबू पार्क के पीछे नया पुल होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
6. नीबू पार्क ओवरब्रिज से उतरने वाला यातायात रूमी गेट की तरफ नही जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात चौक चौराहा, ठाकुरगंज होकर अथवा चरक चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
7. चौक चौराहे की तरफ से नीबू पार्क चौराहे की तरफ सामान्य यातायात नही जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात कोनेश्वर चौराहा या मेडिकल क्रास (कमला नेहरू) चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
8. मेडिकल क्रास (कमला नेहरू) चौराहे की तरफ से फूलमण्डी, खुन-खुन जी गर्ल्स कालेज होकर नीबू पार्क चौराहे की ओर से यातायात नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात मेडिकल कालेज चौराहा, चौक चौराहा, कोनेश्वर चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
9. शाहमीना तिराहे से पक्कापुल टीले वाली मस्जिद की ओर सामान्य यातायात नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात मेडिकल कालेज, डालीगंज पुल, इक्का टांगा से दाहिने नदवा बंधा होते हुए हनुमान सेतु तिराहा से आई0टी0 चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
10. डालीगंज पुल से सीतापुर रोड की ओर जाने वाले रोडवेज बस, जीप, कार, स्कूटर, मोटर साईकिल पक्का पुल की ओर नही जा सकेंगे, बल्कि यह वाहन इक्का टांगा से दाहिने नदवा बंधा होते हुए हनुमान सेतु तिराहा से आई0टी0 चौराहा, कपूरथला, पुरनिया होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।

11. शाहमीना तिराहे से कैसरबाग की ओर से हरदोई रोड की ओर जाने वाले रोडवेज, सिटी बस पक्का पुल की तरफ नही जा सकेंग, बल्कि यह वाहन शाहमीना तिराहे से बांये मेडिकल कालेज चौराहा, चौक चौराहा, कोनेश्वर चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

12. एवरेडी तिराहे से मिल एरिया की ओर कोई भी बड़े वाहन/कार्मिशियल वाहन नही जा सकेंगे, बल्कि यह वाहन मवैया ओवरब्रिज/लगडा फाटक ओवरब्रिज, राजाजीपुरम् होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगं।

13. मिल एरिया से बुलाकी अड्डा की तरफ तुलसीदास मार्ग पर नमाज में सम्मिलित होने वालों के अतिरिक्त किसी अन्य के वाहन नही जा सकेंगे।

14. बुलाकी अड्डा तिराहे से लाल माधव (हैदरगंज) की ओर यातायात (नमाज में सम्मिलित होने वाले वाहनों के अतिरिक्त) कोई भी वाहन नही जाने दिया जायेगा।

15. लाल माधव तिराहा (हैदरगंज) से ईदगाह की तरफ (नमाज में सम्मिलित होने वाले वाहनों के अतिरिक्त) कोई भी वाहन नही जाने दिया जायेगा।

16. नाका से ऐशबाग की ओर (नमाज में सम्मिलित होने वाले वाहनों के अतिरिक्त) कोई भी वाहन नही जाने दिया जायेगा, बल्कि यह वाहन रकाबगंज पुल/नत्था तिराहा, मवैया होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

17. यहियागंज से ईदगाह ऐशबाग की तरफ (नमाज में सम्मिलित होने वाले वाहनों के अतिरिक्त) कोई भी वाहन नही जाने दिया जायेगा।

18. यहियागंज वाटर वर्क्स रोड की ओर से ऐशबाग ईदगाह की ओर आने वाला सामान्य यातायात (नमाज में सम्मिलित होने वाले वाहनों के अतिरिक्त) नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात यहियागंज तिराहा से नक्खास तिराहा होकर अपने गन्तव्य जा सकेंगे।

19. रकाबगंज पुल चौराहे से सामान्य यातायात नक्खास/यहियागंज नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात नाका/मेडिकल कालेज होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे ।

20. ऐशबाग पुल के नीचे नाका की तरफ से आने वाला यातायात ऐशबाग ओवरब्रिज होते हुए ऐशबाग चौकी होकर ऐशबाग ईदगाह की ओर नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात पुल के नीचे से ही वापस मोतीनगर होकर अपने गतव्य को जा सकेगा।

21. राजेन्द्र नगर चौराहे से सामान्य यातायात ऐशबाग ओवरब्रिज की ओर होते हुए ईदगाह की ओर नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात मोतीनगर होते हुए अपने गन्तव्य को जा सकेगा।

22. बाबूलाल हलवाई व मास्टर कन्हैया लाल रोड से ईदगाह की ओर कोई वाहन नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात बाबूलाल हलवाई चौराहा से अपने गन्तव्य को जा सकेगा।

23. गूगां-बहरा व रस्तोगी इण्टर कालेज (कपूर मोर्टस) तिराहे की ओर से कोई वाहन ऐशबाग ईदगाह की ओर नहीं जा सकेगा।

24. पीली कालोनी के अन्दर से कई मार्ग ऐशबाग ईदगाह की ओर आते है, कोई भी यातायात इस मार्ग पर आने नहीं दिया जायेगा।

25. एसएन मिश्रा द्वार तिराहे से किसी प्रकार के यातायात ऐशबाग ईदगाह की ओर नहीं जा सकेगा।

26. मोतीझील कालोनी से ऐशबाग ईदगाह की ओर कोई भी यातायात नहीं जा सकेगा।

27. अन्जुमन चौराहा से ऐशबाग ईदगाह की ओर कोई वाहन नहीं आ सकेगा।

नोट- सामान्य यातायात हेतु प्रदान डायवर्जन मार्ग के अतिरिक्त यदि किसी जन-सामान्य की चिकित्सकीय अपरिहार्यता की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग के अभाव में प्रतिबन्धित मार्ग पर भी एम्बुलेन्स, स्कूली वाहन, फायर सर्विस, शव वाहन आदि को ट्रैफिक पुलिस/स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त कार्यक्रम के दौरान अनुमन्य रहेगा। इसके लिए ट्रैफिक कन्ट्रोल नंम्बर-9454405155 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं0-852

दिनांक-26.05.2026

यातायात पुलिस लखनऊ

सर्वसम्बंधित को सूचित किया जाता है, कि दिनांकः 27/28.05.2025 को ईद-उज-जुहा या ईद-अल-अदाह (बकरीद) पर्व के अवसर पर प्रातः 06.00 बजे से नमाज अदा की जायेगी। जिसके दृष्टिगत शान्ति एवं कानून व्यवस्था तथा जनसामान्य के आवागमन एवं सुगम यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिनांक 27/28.05.2025 को प्रातः 06.00 बजे से नमाज की समाप्ति तक आवश्यकतानुसार यातायात/डायवर्जन व्यवस्था निम्नवत रहेगी-

1. सीतापुर रोड की तरफ से डालीगंज रेलवे क्रासिग तिराहे की तरफ कोई भी यातायात पक्के पुल की ओर नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात डालीगंज रेलवे क्रासिंग ओवरब्रिज से बांये मुड़कर चौराहा नं0 8 निरालानगर से आई0टी0 की ओर होकर जा सकेंगे।
2. पक्का पुल खदरा साईड तिराहा से सामान्य यातायात पक्कापुल (टीले वाली मस्जिद) की ओर नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात पक्का पुल से पहले तिराहे से बन्धा रोड या नया पक्कापुल होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
3. हरदोई रोड/बालागंज की तरफ से आने वाले बड़े वाहन/रोडवेज सिटी बसें बड़ा इमामबाड़ा या टीले वाली मस्जिद के तरफ नही जा सकेगा, बल्कि यह वाहन कोनेश्वर चौराहे से दाहिने चौक चौराहा, मेडिकल कालेज चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
4. कोनेश्वर चौराहे से घण्टाघर होकर बडा इमामबाडा की तरफ सामान्य यातायात नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात कोनेश्वर चौराहे से चौक चौराहा, मेडिकल क्रास (कमला नेहरू) चौराहा, शाहमीना तिराहा या नीबू पार्क (रूमीगेट पुलिस चौकी), नया पुल होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
5. नीबू पार्क (रूमीगेट पुलिस चौकी) चौराहा की तरफ से बड़ा इमामबाड़ा व टीले वाली मस्जिद की ओर यातायात नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात कोनेश्वर चौराहा या नींबू पार्क के पीछे नया पुल होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
6. नीबू पार्क ओवरब्रिज से उतरने वाला यातायात रूमी गेट की तरफ नही जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात चौक चौराहा, ठाकुरगंज होकर अथवा चरक चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
7. चौक चौराहे की तरफ से नीबू पार्क चौराहे की तरफ सामान्य यातायात नही जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात कोनेश्वर चौराहा या मेडिकल क्रास (कमला नेहरू) चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
8. मेडिकल क्रास (कमला नेहरू) चौराहे की तरफ से फूलमण्डी, खुन-खुन जी गर्ल्स कालेज होकर नीबू पार्क चौराहे की ओर से यातायात नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात मेडिकल कालेज चौराहा, चौक चौराहा, कोनेश्वर चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
9. शाहमीना तिराहे से पक्कापुल टीले वाली मस्जिद की ओर सामान्य यातायात नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात मेडिकल कालेज, डालीगंज पुल, इक्का टांगा से दाहिने नदवा बंधा होते हुए हनुमान सेतु तिराहा से आई0टी0 चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
10. डालीगंज पुल से सीतापुर रोड की ओर जाने वाले रोडवेज बस, जीप, कार, स्कूटर, मोटर साईकिल पक्का पुल की ओर नही जा सकेंगे, बल्कि यह वाहन इक्का टांगा से दाहिने नदवा बंधा होते हुए हनुमान सेतु तिराहा से आई0टी0 चौराहा, कपूरथला, पुरनिया होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।

11. शाहमीना तिराहे से कैसरबाग की ओर से हरदोई रोड की ओर जाने वाले रोडवेज, सिटी बस पक्का पुल की तरफ नही जा सकेंग, बल्कि यह वाहन शाहमीना तिराहे से बांये मेडिकल कालेज चौराहा, चौक चौराहा, कोनेश्वर चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

12. एवरेडी तिराहे से मिल एरिया की ओर कोई भी बड़े वाहन/कार्मिशियल वाहन नही जा सकेंगे, बल्कि यह वाहन मवैया ओवरब्रिज/लगडा फाटक ओवरब्रिज, राजाजीपुरम् होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगं।

13. मिल एरिया से बुलाकी अड्डा की तरफ तुलसीदास मार्ग पर नमाज में सम्मिलित होने वालों के अतिरिक्त किसी अन्य के वाहन नही जा सकेंगे।

14. बुलाकी अड्डा तिराहे से लाल माधव (हैदरगंज) की ओर यातायात (नमाज में सम्मिलित होने वाले वाहनों के अतिरिक्त) कोई भी वाहन नही जाने दिया जायेगा।

15. लाल माधव तिराहा (हैदरगंज) से ईदगाह की तरफ (नमाज में सम्मिलित होने वाले वाहनों के अतिरिक्त) कोई भी वाहन नही जाने दिया जायेगा।

16. नाका से ऐशबाग की ओर (नमाज में सम्मिलित होने वाले वाहनों के अतिरिक्त) कोई भी वाहन नही जाने दिया जायेगा, बल्कि यह वाहन रकाबगंज पुल/नत्था तिराहा, मवैया होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

17. यहियागंज से ईदगाह ऐशबाग की तरफ (नमाज में सम्मिलित होने वाले वाहनों के अतिरिक्त) कोई भी वाहन नही जाने दिया जायेगा।

18. यहियागंज वाटर वर्क्स रोड की ओर से ऐशबाग ईदगाह की ओर आने वाला सामान्य यातायात (नमाज में सम्मिलित होने वाले वाहनों के अतिरिक्त) नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात यहियागंज तिराहा से नक्खास तिराहा होकर अपने गन्तव्य जा सकेंगे।

19. रकाबगंज पुल चौराहे से सामान्य यातायात नक्खास/यहियागंज नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात नाका/मेडिकल कालेज होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे ।

20. ऐशबाग पुल के नीचे नाका की तरफ से आने वाला यातायात ऐशबाग ओवरब्रिज होते हुए ऐशबाग चौकी होकर ऐशबाग ईदगाह की ओर नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात पुल के नीचे से ही वापस मोतीनगर होकर अपने गतव्य को जा सकेगा।

21. राजेन्द्र नगर चौराहे से सामान्य यातायात ऐशबाग ओवरब्रिज की ओर होते हुए ईदगाह की ओर नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात मोतीनगर होते हुए अपने गन्तव्य को जा सकेगा।

22. बाबूलाल हलवाई व मास्टर कन्हैया लाल रोड से ईदगाह की ओर कोई वाहन नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात बाबूलाल हलवाई चौराहा से अपने गन्तव्य को जा सकेगा।

23. गूगां-बहरा व रस्तोगी इण्टर कालेज (कपूर मोर्टस) तिराहे की ओर से कोई वाहन ऐशबाग ईदगाह की ओर नहीं जा सकेगा।

24. पीली कालोनी के अन्दर से कई मार्ग ऐशबाग ईदगाह की ओर आते है, कोई भी यातायात इस मार्ग पर आने नहीं दिया जायेगा।

25. एसएन मिश्रा द्वार तिराहे से किसी प्रकार के यातायात ऐशबाग ईदगाह की ओर नहीं जा सकेगा।

26. मोतीझील कालोनी से ऐशबाग ईदगाह की ओर कोई भी यातायात नहीं जा सकेगा।

27. अन्जुमन चौराहा से ऐशबाग ईदगाह की ओर कोई वाहन नहीं आ सकेगा।

नोट- सामान्य यातायात हेतु प्रदान डायवर्जन मार्ग के अतिरिक्त यदि किसी जन-सामान्य की चिकित्सकीय अपरिहार्यता की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग के अभाव में प्रतिबन्धित मार्ग पर भी एम्बुलेन्स, स्कूली वाहन, फायर सर्विस, शव वाहन आदि को ट्रैफिक पुलिस/स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त कार्यक्रम के दौरान अनुमन्य रहेगा। इसके लिए ट्रैफिक कन्ट्रोल नंम्बर-9454405155 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-855
दिनांक-26.05.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-वजीरगंज

➢ **थाना वजीरगंज पुलिस ने पेश की मानवीय मिसाल: कैसरबाग बस स्टैण्ड प्रसव के स्थिति में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया सुरक्षित डिलीवरी, काउंसलिंग कर भेजा राजकीय नारी संरक्षण गृह -**

संक्षिप्त विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कुशल निर्देशन में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा मानवीय संवेदनाओं की एक अनूठी और अनुकरणीय मिसाल पेश की गई है। दिनांक 21/22.05.2026 समय रात्रि करीब 1.30 बजे कैसरबाग बस अड्डे पर पुलिस टीम को एक महिला अत्यंत असहाय और बेसहारा स्थिति में मिली। अत्यधिक पीड़ा और संकट से जूझ रही महिला **(उम्र 25 वर्ष), निवासी- चक गाँव, जनपद- सीकर (राजस्थान)** पूर्ण रूप से गर्भवती थी अंत्यन्त ही पीड़ा से तड़प रही थी जिसे त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल आपातकालीन चिकित्सीय सहायता हेतु रेडक्रास अस्पताल में भर्ती कराया गया।

त्वरित पुलिस कार्रवाई और सुरक्षित प्रसव-

मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज के आदेशानुसार पुलिस टीम तत्काल सक्रिय हो गई। महिला की सुरक्षा, समुचित इलाज और निरंतर देखरेख हेतु थाने से **महिला आरक्षी पूर्ति भारती** व **महिला आरक्षी सोनम** को पूरी मुस्तैदी के साथ रेडक्रॉस हॉस्पिटल रवाना किया गया। डॉक्टरों और पुलिस टीम के संयुक्त प्रयासों व महिला आरक्षियों की चौबीस घंटे की सघन निगरानी के फलस्वरूप अस्पताल में महिला की **सकुशल एवं सुरक्षित डिलीवरी (प्रसव)** संपन्न हुई तथा निरंतर चार दिवस दूध पानी व पोषणीय भोजन की व्यवस्था किया गया। वर्तमान में जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित हैं।

परिजनों से संपर्क एवं सम्मानजनक पुनर्वास-

अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान जब महिला पुलिस टीम (म०का० पूर्ति भारती व म०का० सोनम) द्वारा महिला से उसके परिवार के संबंध में आत्मीयता से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि उसके परिवार में सभी लोग मौजूद हैं, परंतु विपरीत पारिवारिक व आर्थिक परिस्थितियों के कारण इस समय उसे यहाँ से ले जाने की स्थिति में कोई भी नहीं है। परिजनों से फोन पर संपर्क स्थापित कर स्थिति से अवगत कराने के उपरान्त, महिला और नवजात शिशु की सुरक्षा, संरक्षण व उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा समस्त विधिक प्रक्रियाएँ पूर्ण की गई। उचित माध्यम एवं विधिक लिखापढ़ी के बाद महिला व बच्चे को सुरक्षित और सम्मानजनक आश्रय प्रदान करने हेतु **राजकीय नारी संरक्षण गृह** भेजा गया है।

- **पीड़ित महिला:**

(उम्र 25 वर्ष), निवासी- सीकर, राजस्थान।

- **सराहनीय पुलिस टीम:**
  श्री राजेश कुमार त्रिपाठी थाना वजीरगंज लखनऊ
  उ0नि0 श्री रंजीत पाठक चौकी प्रभारी हाता थाना वजीरगंज लखनऊ
  महिला आरक्षी पूर्ति भारती थाना वजीरगंज लखनऊ
  महिला आरक्षी सोनम थाना वजीरगंज लखनऊ
- **मानवीय कार्य:** प्रभारी निरीक्षक के आदेश पर रेडक्रॉस अस्पताल में त्वरित भर्ती एवं सुरक्षित प्रसव की निगरानी।
- **पुनर्वास संरक्षण:** पारिवारिक असमर्थता के चलते विधिक प्रक्रिया पूरी कर माँ-बच्चे को राजकीय नारी संरक्षण गृह में परिजनो की सुपुर्दगी हेतु सुरक्षित आश्रय।

"पुलिस का कर्तव्य केवल अपराध की रोकथाम ही नहीं, बल्कि समाज के हर असहाय, पीड़ित और संकटग्रस्त नागरिक की सुरक्षा और सेवा करना भी हमरा धर्म है। कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस संकट में फंसे हर व्यक्ति की सहायता के लिए सदैव तत्पर है।"

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-856

दिनांक-26.05.2026

जोन-दक्षिणी/ थाना-पीजीआई

➢ **नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

वादी निवासी ग्राम मोहद्दीनपुर, थाना पीजीआई लखनऊ के द्वारा दिनांक 25.05.2026 को दिये गये लिखित तहरीर कि वादी की बहन को दिनांक 22.05.2026 को अजीत कुमार पुत्र स्व राजकुमार निवासी विश्राम खेड़ा, थाना मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा बहला फुसलाकर ले गया है जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 284/2026 धारा137(2)/87 बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ पर पंजीकृत किया गया।

02-कार्यवाही विवरणः-

विवेचना व अपहृता के तलाश के क्रम में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता (नाबालिग) को दिनांक 25.05.2026 को किसानपथ अण्डरपास के पास रायबरेली रोड लखनऊ से बरामद कर बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1)बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी, पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। दिनांक 25.05.2026 को मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभि0 अजीत कुमार पुत्र स्वर्गीय राजकुमार निवासी विश्राम खेड़ा थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ को पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर जगत खेड़ा नहर पुलिया कल्ली पश्चिम के पास से गिरफ्तार किया गया व नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

03-पूछताछ विवरणः-

पूछताछ से यह तथ्य सामने आया है कि अभियुक्त अजीत कुमार व पीड़िता / अपहृता आपस में काफी समय से एक दूसरे से सम्पर्क में थे व साथ मे ही लखनऊ के किसी होटल में रुके थे कही जाने की फिराक में थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1.अजीत कुमार पुत्र स्वर्गीय राजकुमार निवासी विश्राम खेड़ा थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 22 वर्ष।

05-अनावरित अभियोग का विवरणः-

1.मु0अ0सं0 284/2026 धारा137(2)/87 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 64(1) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट थाना पीजीआई लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- **थाना पीजीआई पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-854

दिनांक-26.05.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा गैर इरादतन हत्या के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.05.2026 को श्रीमती पप्पी पत्नी जमुना प्रसाद निवासी ग्राम गोपाल खेड़ा, थाना मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा सूचना दिया गया कि मेरे पति जमुना प्रसाद पावर ग्रिड खुजेहटा मे कार्य करते है। दिनांक 22/05/2026 को समय लगभग 07.30 बजे मेरे पति अपने कार्यालय पावर ग्रिड खुजेहटा से कार्य करके अपने घर ग्राम गोपाल खेड़ा वापस आ रहे थे। जब वह बेलहिया खेड़ा गांव के पास प्राइमरी स्कूल के पास नाले के निकट पहुचें, तभी पहले से घात लगाए बैठे विपक्षीगण- 1.नीरज पुत्र साहबदिन 2.हरदेश पुत्र साहबदिन 3. अरूण पुत्र नीरज 4.अनुज पुत्र नीरज 5. लवकुश पुत्र शिवबालक 6.शानू पुत्र रामकुमार 7.रोहित पुत्र(नीरज का साला) और अज्ञात तीन लोग सभी एक राय होकर लाठी, डंडा, लेकर आए और मेरे पति को रोककर गंदी-गंदी गालियाँ देते हुए मारे पीटे। शरीर के हिस्सो में गंभीर चोटें आई और वह बेहोश होकर गिर पडे। घटना के बाद स्थानीय लोगो एवं परिजनो की सहायता से मेरे पति को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहनलालगंज ले जाया गया, जहां डॉक्टरो ने हालत गंभीर देखते हुए तत्काल पीजीआई ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0स0 191/26 धारा 191(2),191(3),118(1),110,352,351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के दौरान घायल जमुना प्रसाद की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी जिसके उपरान्त अभियोग में धारा 105 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी तथा धारा 110 बीएनएस का लोप किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था। दिनांक 25.05.2026 को समय करीब 19.25 पर अभियुक्तगण हरदेश व लवकुश को गौरिया से पचौरी की तरफ जाने वाले मोड़ थाना क्षेत्र मोहनलालगंज से गिरफ्तार किया गया। **अभियुक्त हरदेश के निशादेही पर आलाकत्ल लोहे की रॉड बरामद किया गया।** अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। शेष अभियुक्तों की तलाश की जा रही है।

विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि घटना का मूल कारण **पारिवारिक विवाद** है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त हरदेश पुत्र साहबदिन द्वारा बताया गया कि **मृतक जमुना प्रसाद उसका सगा भाई था** तथा पूर्व में हुए आपसी विवाद एवं मारपीट की घटना से आक्रोशित होकर बदला लेने की नियत से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से उसको मारा पीटा था।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. हरदेश पुत्र साहेबदीन उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम गौरिया खुर्द थाना नगराम जनपद लखनऊ
2. लवकुश पुत्र शिवबालक उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम गौरिया खुर्द थाना नगराम जनपद लखनऊ

03-अभियुक्त लवकुश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 257/25 धारा 115(2)/352 बीएनएस थाना नगराम लखनऊ ।

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0स0 191/26 धारा 191(2)/191(3)/118(1)/110/352/351(3) बीएनएस थाना मोहनलालगंज लखनऊ

05-बरामदगी विवरण-

- आलाकत्ल लोहे की रॉड

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- **कोतवाली मोहनलालगंज पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-853

दिनांक-26.05.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गोमतीनगर

➤ **थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.01.2025 को वादी मुकदमा श्री नारान्तन सिंह यादव (सेवानिवृत्त अपर कृषि निदेशक लखनऊ) पुत्र स्व0 मेवा लाल यादव की तहरीरी सूचना बावत वादी की पत्नी के नाम पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड पर प्रतिवादीगण द्वारा किसी अन्य के नाम पर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज बनाकर रजिस्ट्री करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रा0 पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 15/2025 धारा 419/420/467/468/471/504/506/120बी भादवि पंजीकृत होकर होकर विवेचना उ0नि0 श्री मो0 जसीम रजा को प्राप्त हुयी।

उक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त इन्द्र प्रताप सिंह उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त को उसके स्थायी पते ग्राम व पोस्ट डारी डीहा थाना महरुबा जिला अम्बेडकर नगर को दिनांक 25.05.2026 समय 15.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त उपरोक्त फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेज (रजिस्ट्री)/अभिलेख सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर खाली पडे प्लाटों पर प्रपत्र तैयार कर प्लाटों का स्वंय को भूस्वामी बताकर लोगो को फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर प्लॉट विक्रय कर पैसों का गबन कर अपराध कारित किया जाता था। मुकदमा उपरोक्त में नामित व अन्य अभियुक्तगण पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं, गिरफ्तार अभियुक्त इन्द्रप्रताप सिंह उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-पंजीकृत अभियोग (अनावरित अभियोग)-

1- मु0अ0सं0 15/2025 धारा 419/420/467/468/471/504/506/120बी भादवि थाना गोमतीनगर लखनऊ

2- मु0अ0सं0 589/2024 धारा 420/467/468/471/120 बी भादवि थाना गोमतीनगर लखनऊ।

नोट- अभियुक्त उपरोक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- इन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट दारीदीहा थाना मारुबा जिला अम्बेडकर नगर उम्र 48 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री मोहम्मद जसीम थाना गोमतीनगर लखनऊ

2- का0 आकाश थाना गोमतीनगर लखनऊ